राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देसूरी (पाली)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमति राजलक्ष्मी गहलोत, आर.ए.एस.

राजस्व वाद प्रकरण संख्या :– 11/2018

निर्णय दिनांक :– 31.03.2021

प्रार्थी :–

दाकू पुत्री स्व.वनारामजी (पत्नि वालाराम), आयु–41 वर्ष जाति– जणवा चौधरी, निवासी – नारलाई, तहसील– देसूरी जिला–पाली(राज.)

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. चेलाराम पुत्र स्व. वनाराम, आयु– वयस्क
2. पुनाराम पुत्र स्व. वनाराम, आयु–वयस्क
3. नोजकी पत्नि स्व. दौलाराम, आयु –वयस्क
4. विक्रम पुत्र स्व. दौलाराम, आयु –वयस्क
5. अशोक पुत्र स्व. दौलाराम, आयु –अवयस्क
6. प्यारी पुत्री स्व. दौलाराम, आयु–अवयस्क
7. फउडी पुत्री स्व. दौलाराम, आयु–अवयस्क,
   जातिगण–जणवा चौधरी, निवासीगण –नारलाई, तहसील देसूरी, जिला–पाली (राज.)
   अप्रार्थी सं.– 4 से 7 अवयस्क जरिये कुदरती वलीया माता अप्रार्थी सं. – 3 के
8. तहसीलदार, देसूरी (भूमिधारी राज्य सरकार)

(वाद अन्तर्गत धारा 88,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम)

–:प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम :–

उपस्थितिः–

1. श्री मुकेश कुमार श्रीमाली अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री सुरेश दवे अप्रार्थीगण संख्या 1 की ओर से।

निर्णय **दिनांक :–31.03.2021**

संक्षेप मे प्रकरण हाजा के तथ्य इस प्रकार है कि–प्रार्थियों की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा सरहद गांव–नारलाई, पटवार क्षेत्र– नारलाई, तहसील–रानी, जिला–पाली (राज.) में संयुक्त [illegible] आराजियात खसरा नम्बर 2325, 2326, 2328, 2329, 2348, 2349, 2350, [illegible] 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, [illegible] खसरा– 22 कुल

पेज नम्बर 2 पर लगातार.....

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.19 14:56:06 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

क्षेत्रफल – 59.3800 हैक्टर, कुल लगान रूपयां– 1133.38 एवं खसरा नम्बर– 1449, 1450, 1451, 1453, 1454, 1455, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, कुल खसरा–14 कुल क्षेत्रफल–11.8100 हैक्टर, कुल लगान रूपयां – 281.12 विद्यमान है।

उपरोक्त वर्णित खसरान की आराजियात में प्रार्थिनी के पिता श्री वनाराम पुत्र भगारामजी की खातेदारी आधिपत्य का कब्जा काश्त सुदा संयुक्त हिस्सा विद्यमान था, जो अप्रार्थीगण संख्या 1 से 2 व मृत दौलाराम द्वारा विरासत नामान्तरकरण के जरिये सिर्फ इन्हे ही मृत वनाराम के वारिस उत्तराधिकारी बता कर राजस्व अभिलेख में गलत रूपेण दर्ज करवा दिया है, जिस उक्त वनाराम के खातेदारी हिस्से को जो वर्तमान जमाबंदियो में अप्रार्थीगण संख्या–1 से 7 के नाम दर्ज सुदा है को इस वाद–पत्र में सुविधा की दृष्टि से आगे "वादग्रस्त हिस्सा की आराजियात" संबोधित किया गया है, जो इस वाद–पत्र की विषय वस्तुत है, जिस संबंध में ही प्रार्थीनी द्वारा यह वाद लाया गया है जिससे उक्त खसरान की आराजियात के दीगर सह खातेदार के खातेदारी हक हिस्सो के संबंध में प्रार्थिनी द्वारा इस वाद मे कोई अनुतोष नही चाहा गया है, जिससे दीगर सह खातेदार इस वाद मे कानूनन आवश्यक पक्षकार नही होने से उन्हे पक्षकार नही बनाया गया है।

यह कि मृत वनाराम एवं उनके वारिसान पक्षकारान हिन्दू है, जो हिन्दू कानूनन से शासित होते है। प्रार्थीनी के पिता वनाराम की मृत्यु दिनांकः – 25/07/1982 को निर्वासियत हुई, जिनकी मृत्युपरान्त उक्त मृत वनारामजी के विधिक वारिसान इनके तीन पुत्र चेलाराम, दौलाराम व पुनाराम पुत्रगण स्व. वनाराम एवं पत्नि गोमीबाई एवं तीन पुत्रियां नेनू, पोनी, दाकू पुत्रियां स्वं. वनाराम है, जिसमे से दौलाराम की मृत्यु होने पर मृत दौलाराम के विधिक वारिसान अप्रार्थीगण संख्या– 3 से लगाय– 7 है एवं गोमीबाई की भी मृत्यु हो चुकी है, जिनके विधिक वारिसान प्रार्थिनी एवं अप्रार्थीगण संख्या –1 से लगाय– 9 है। इस प्रकार हिन्दु उत्तराधिकारीगण प्रार्थीनी एवं अप्रार्थीगण संख्या –1 से लगाय –9 है।

यह कि उपरोक्तानुसार प्रार्थिनी के पिता मृत वनाराम की निर्वासियत मृत्यु होने पर उनके पीछे हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 अनुसार प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसान उत्तराधिकारी प्रार्थीनी एवं अप्रार्थीगण संख्या– 1 से लगाय–9 है, जिससे हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा–8 के अनुसार मृत वनाराम के प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसान उत्तराधिकारीगण प्रार्थिनी एवं अप्रार्थीगण संख्या–1 से लगाय– 9 उपरोक्त खसरान की आराजियात में विद्यमान मृत वनाराम की खातेदारी हुए है यानि वादग्रस्त हिस्सा की आराजियात जो वर्तमान राजस्व अभिलेख जमाबंदियों मे अप्रार्थीगण संख्या–1 से लगाय–9 के नाम ही दर्ज है, मे प्रार्थीनी एवं प्रतिवादी संख्या–8 व 9 का भी बतौर मृत वनाराम के विधिक वारिसान की हैसियत से समान रूपेण खातेदारी हक अधिकार कानूनन निहित है यानि मृत वनाराम के वादग्रस्त हिस्सा [illegible] आराजियात में प्रार्थीनी का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या–1 का 1/6 हिस्सा, [illegible] 1/6 हिस्सा.

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.19 14:56:06 IST
Reason: SelfAttested

पेज नम्बर 3 पर लगातार.....

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

प्रतिवादी संख्या–8 का 1/6 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या –9 का 1/6 हिस्सा पैतृक हक अधिकार आधिपत्य का संयुक्त खातेदारी का विद्यमान है, जिसकी जानकारी अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 एवं अप्रार्थीगण संख्या –3 से 7 के पिता मृत दौलाराम को भली–भांति होते हुए भी मृत वनाराम की मृत्युपरान्त बाला बाला सिर्फ इनके नाम से ही विरासत नामान्तरण के जरिये राजस्व अभिलेख में दर्ज करवा दिया है जबकि प्रार्थिनी एवं प्रतिवादी संख्या –8 व 9 का भी अप्रार्थीगण संख्या–1 से 7 साथ–साथ बतौर विधिक वारिसान के कानूनन हक अधिकार निहित है। प्रार्थिनी को राजस्व रिकार्ड बाबत जानकारी नही थी अभी कुछ रोज पूर्व वादग्रस्त आराजियात की जमाबंदिया राजस्व रिकार्ड की नकले प्राप्त करने पर प्रार्थीनी को यह जानकारी हुई कि उपरोक्त खसरान की आराजियात के मृत वनाराम के वादग्रसत खातेदारी हिस्सा में सिर्फ अप्रार्थीगण संख्या –1 से 7 का ही नाम दर्ज है, जिस पर वादिनी द्वारा अप्रार्थीगण को पिता से विरासत से प्राप्त सुदा वादग्रस्त हिस्सा की आराजिया में प्रार्थीनी एवं प्रतिवादी संख्या–8 व 9 का नाम दर्ज कराने का अप्रार्थीगण को कहा, किन्तु आज कल बतला कर टालम–टोली कर रहे है एवं नाम दर्ज नहीं करवा रहे है एवं उल्टा वादग्रस्त हिस्सों की आराजियात को मात्र उनका ही गलत रूपेण नाम दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाने की बदनियत से प्रार्थीनी के विधिक एवं जायज हक अधिकार एवं हिस्से सहित खुर्दबुर्द–फरोख्त, अन्यंत्र हस्तान्तरण कर प्रार्थिनी को अपने विधिक हक अधिकारो से वंचित रखने पर आमादा है उपरोक्त रूपेण मृत वनाराम की विधिक वारिस उत्तराधिकारी की हैसियत से वादग्रस्त हिस्सा की आराजियात में प्रार्थिनी अपने पैतृक हक अधिकारों अनुसार खातेदार घोषित कराने की कानूनन अधिकारी है अतः प्रार्थिनी यह वाद विरूद्ध अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजियात में वादिनी के पिता मृत वनाराम के वादग्रस्त हिस्सा की आराजियात जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थीगण संख्या–1 से 7 के नाम दर्ज है, में प्रार्थिनी एवं प्रतिवादी संख्या–8 व 9 को भी मृत वनाराम की विधिक वारिसान उत्तराधिकारी के अप्रार्थीगण संख्या–1 से 7 के साथ समान रूपेण सह खातेदार घोषित कराने हेतू व नाम दर्ज कराने हेतु एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु यह वाद विरूद्ध अप्रार्थीगण हस्ब धारा–88, 188, 92ए राजस्थान महामारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया है, जो प्रार्थिनी का मूल वाद प्रथम दृष्टया कामयाब होने योग्य है, जिसमें प्रार्थिनी की सफलता के ठोस आधार एवं आसार एवं दस्तावेज प्रमाण है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थिनी के पक्ष में है एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थिनी के पक्ष में है एवं अपूर्णनीय क्षति का सिद्धान्त भी प्रार्थिया पर लागु होता है।

यह कि मूल वाद के निर्णय में लम्बा समय लगेगा, जिस दौरान मूल वाद के निर्णय तक अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाकर वादग्रस्त हिस्सा की आराजियात, जो अप्रार्थीगण संख्या–1 से 7 के नाम राजस्व अभिलेख जमाबंदी में दर्ज सुदा है, जिसमे वादीनी का पैतृक हक हिस्सा विद्यमान है जो कि अप्रार्थीगण के नाम मात्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.19 14:36:06 IST
Reason: SelfAttested

पेज नम्बर 4 पर लगातार.....

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

राजस्व रिकार्ड मे कतई गलत रूपेण बिना किसी हक अधिकार एवं आधार के दर्ज हुआ है, जो मूल वाद के साथ प्रस्तुत अभिलेखिय साक्ष्य से स्पष्ट है चूंकि प्रार्थीया मृत वनाराम की विधिक वारिस उत्तराधिकारी पुत्री है, जिससे वादग्रस्त हिस्सा की आराजियात मे प्रार्थीया का विधिक रूप से पैतृक हक हिस्सा विद्यमान है, जिसे अप्रार्थीगण द्वारा कतई गलत रूपेण मृत वनाराम के वारिस बता कर दर्ज कराया है, को खुर्द बुर्द अन्यत्र हस्तांतरण करने से रोका जाना नितांत आवश्यक एवं न्याय संगत है अन्यथा प्रार्थिनी विधिक एवं जायज हक अधिकारो पर कुठाराघात होगा एवं प्रार्थिनी अपने विधिक एवं जायज हक अधिकारो से वंचित रह जावेगे एवं प्रार्थिनी को अकथनीय क्षति होगी, जिसकी पूर्ति नही की जा सकेगी एवं प्रार्थिनी द्वारा मूल वाद प्रस्तुत करने का मकसद की समाप्त हो जावेगा एवं प्रार्थीनी न्याय प्राप्ति से वंचित रह जावेगे एवं न्याय का कोई प्रयोजन भी सिद्ध नही होगा इस प्रकार स्पष्ट रूप से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीनी के पक्ष में साबित है एवं सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थिनी के पक्ष में है एवं अपूर्णनीय क्षति का सिद्धान्त भी प्रार्थिनी पर लागू होता है, जिससे मूल वाद के निर्णय तक अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थायी व्यादेश जारी किया जाना न्याय संगत होगा।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र एवम् अभिलेखिय साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत कर निवेदन हैकि प्रार्थीनी का यह अस्थायी निषेधाज्ञा का आवेदन स्वीकार फरमाया जावे एवम् मूल वाद के निर्णय तक अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि मौजा सरहद गांव–नारलाई, पटवार क्षेत्र– नारलाई, तहसील–रानी, जिला–पाली (राज.) में संयुक्त खातेदारी आधिपत्य की कृषि भूमि आराजियात खसरा नम्बर 2325, 2326, 2328, 2329, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2366 कुल खसरा– 22 कुल क्षेत्रफल – 59.3800 हैक्टर, कुल लगान रूपयां– 1133.38 एवं खसरा नम्बर– 1449, 1450, 1451, 1453, 1454, 1455, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, कुल खसरा–14 कुल क्षेत्रफल–11.8100 हैक्टर, कुल लगान रूपयां – 281.12 में वर्तमान राजस्व अभिलेख मे अप्रार्थीगण संख्या 1 से 7 के नाम दर्ज है, को अप्रार्थीगण किसी प्रकार से खुर्दबुर्द अन्यत्र हस्तान्तरण नही करे एवम् प्रार्थिनी के पैतृक हक हिस्सा की आराजी मे प्रार्थीया के कब्जा काश्त मे कोई दखलन्दाजी नही करे, न किसी अन्य से करावे। एवम् वादग्रस्त आराजी के रिकोर्ड एवम् मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटीस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2, 3 से 6 की ओर अप्रार्थी नोजकी ने इकबालिया जबाव दावा प्रस्तुत किया गया तथा अप्रार्थी संख्या 1 की ओर वकील सुरेश कुमार दवे ने वकालत नामा पेश किया तथा अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जबाव बार–बार अवसर देने के बावजूद पेश नही करने पर जबाव पेश करने का अवसर बन्द किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.19 14:56:06 IST
Reason: SelfAttested

पेज नम्बर 5 पर लगातार...

सहायक कलेक्टर
(एस डी ओ) देसूरी (पाली)

अप्रार्थीगण संख्या 2, 3 से 6 की ओर इकबालिया जबाव पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना–पत्र के पैरा एक में वर्णित वादग्रस्त आराजियात में हमारे पिता वनाराम पुत्र भागारामजी की खातेदारी आधिपत्य का हिस्सा विद्यमान था, जिसके स्वर्गवास पश्चात् मृत वनाराम के विधिक वारिसान उत्तराधिकारीगण प्रार्थीनी सहित प्रार्थिनी एवं अप्रार्थीगण संख्या–1 व 2 एवं मृत दौलाराम के वारिसान अप्रार्थीगण संख्या–3 से लगाय–7 एवं नेनू, पोनी पुत्रिया स्व. वनाराम का समान रूपेण पैतृक हक हिस्सा एवं आधिपत्य विद्यमान है। किन्तु भूल एवं मृत दौलाराम के नाम से ही दर्ज हुआ है, जो गलत है। वादग्रस्त आराजी मेरे पिता स्व. वनारामजी की वारिसान पुत्रियों का भी समान है अधिकार एवं हिस्सा कानूनन विद्यमान है।

यह है कि हमारे ससूर/दादा मृत वानारामजी की निर्वसियत मृत्यु होने पर उनके पीछे हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम अनुसार प्रथम श्रेणी के विविध वारिसान उत्तराधिकारीगण प्रार्थीनी एवम् अप्रार्थीगण संख्या 1 से 7 एवम् नेनू व पोनी पुत्रिया वनाराम का है, जो वादग्रस्त आराजियात में विद्यमान मृत वनाराम की खातेदारी हिस्से के समान रूपेण हकदार एवम् अधिकारी है यानि वादग्रस्त आराजी के राजस्व अभिलेख वर्तमन जमाबन्दी में अप्रार्थीगण संख्या 1 से लगाय 7 के नाम दर्ज है, उसमें प्रार्थिनी एवम् नेनू, पोनी पुत्रिया वनाराम का भी बतौर मृत वनाराम के विधिक वारिसान की हैसियत से समान रूपेण खातेदारी हक अधिकार कानूनन निहित है। मृत वनाराम के वादग्रस्त हिस्सा की आराजियात में प्रार्थिनी का 1/6 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा, अप्रार्थी 2 का 1/6 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 3 से 7 का 1/6 हिस्सा, नेनू पुत्री वनाराम का 1/6 हिस्सा, एवम् पेानी पुत्री वनाराम का 1/6 हिस्सा पैतृक हक अधिकार अधिपत्य का सयुक्त रूपेण विद्यमान है, जिस अनुरूप खातेदारी घोषणा हेतु प्रार्थिनी द्वारा प्रस्तुत मूल वाद प्रथम दृष्टया कामयाब होने योग्य है एवम् प्रथम दृष्टया वाद प्रार्थिनी के पक्ष में है एवम् सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीनी के पक्ष में है एवम् अपूर्णनीय क्षति का सिद्धान्त भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। जिससे मूल वाद के निस्तारण के तक अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति नही हैं।

वकुलाय की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया एवम् पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवम् अध्ययन किया गया। इस प्रार्थना पत्र का निस्तारण हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा दिये जाने बाबत निम्न बिन्दुओ पर विचारण किया गया–

प्रथम दृष्टया मामला – वकील प्रार्थी ... किया प्रार्थिनी के पिता वनाराम की मृत्यु दिनांक 25.07.1982 को निर्वसियत हु... विधिक वारिसान प्राथीया

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.19 14:56:06 IST
Reason: SelfAttested

पेज नम्बर 6 पर लगातार....

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी

एवम् अप्रार्थी संख्या 1 से लगाय 7 तथा वनाराम की पुत्रीयों नेनू व पोनी का समान रूपेण खातेदारी हक अधिकार निहित है। अर्थात मृत वनाराम के वादग्रस्त हिस्सा की आराजियात में प्रार्थीनी का 1/6 हिस्सा विद्यमान है। जिसकी जानकारी अप्रार्थीगण को होते हुए भी विरासत नामान्तरकरण के जरिये राजस्व अभिलेख में सिर्फ इनके नाम दर्ज करवा दिये। जिससे अप्रार्थीगण इसका फायदा उठाने की बदनियत से प्रार्थिनी के विधिक एवम् जायज हक अधिकारो से वंचित रखने पर आमादा है। जिसे मूल वाद के निस्तारण तक रोका जाना नितांत आवश्यक है। वकील अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी बहस में तर्क दिया कि प्रार्थीयॉ द्वारा अपने वाद में कही भी मौके पर कब्जा काश्त दर्शाया नही है। तथा उक्त वाद प्रार्थीयॉ ने घोषणा का पेश किया है जबकि प्रार्थियॉ को म्यूटेशन अपील करनी थी। अतः प्रार्थना पत्र मेन्टेनेबल नही है।

न्यायालय द्वारा प्रथम दृष्टया मामले पर विचार किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख साक्ष्य अधिकार अभिलेख जमाबंदी अनुसार वादग्रस्त आराजियात व इकबालिया जबाव से प्रथम दृष्टया से यह स्पष्ट है कि उक्त वादग्रस्त आराजी में स्व वनाराम की मृत्यु के पश्चात् जरिये विरासत नामान्तरकरण के जरिये अप्रार्थी संख्या 1 से 7 का नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज हुई है। जबकि हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम के अनुसार प्रार्थियॉ भी प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसान के तौर पर स्व. वनाराम की खातेदारी में हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थियॉ के पक्ष में साबित होता है।

सुविधा का सन्तुलन :– अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने बाबत सुविधा सन्तुलन बिन्दु पर विचार किया गया। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थियॉ के पक्ष में साबित होने व राजस्व रिकोर्ड में प्रार्थीयॉ का नाम दर्ज नही होने से उक्त वादग्रस्त आराजी के संबंध में अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही की जाती है तो अप्रार्थीगण के द्वारा वादग्रस्त आराजी को खुर्द बुर्द या अन्य हस्तान्तरण से प्रार्थियॉ को ज्यादा असुविधा होगी। जिससे सुविधा सन्तुलन का बिन्दु प्रार्थियॉ के पक्ष में साबित होता है।

अपूरणीय क्षति –अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर न्यायालय द्वारा विचार किया गया। वकील प्रार्थीयॉ ने अपनी बहस में व्यक्त किया कि राजस्व रिकोर्ड में गलत इन्द्राज का अप्रार्थीगण फायदा उठाकर खुर्दबुर्द करने व हस्तान्तरण करने पर आमादा है। जिससे प्रार्थियॉ को अपूर्णनीय क्षति होगी एवम् प्रार्थी के हक अधिकारो पर भारी कुठारगात होगा। इस संबंध में वकील अप्रार्थी ने कथन किया कि अप्रार्थीगण के नाम से वादग्रस्त आराजी बतौर खातेदार दर्ज है जिससे प्रार्थीयॉ का कोई विधिक हक अधिकार नही है। मौके पर अप्रार्थीगण की फसल बोई हुई है।इसलिए अप्रार्थीगण के कब्जा काश्त और खातेदारी की आराजी को लेकर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो अप्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.19 14:56:06 IST
Reason: SelfAttested

पेज नम्बर 7 पर लगातार.....

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

अपूरणीय क्षति पर न्यायालय द्वारा विचार किया गया। प्रार्थियों के प्रार्थना पत्र के अनुसार वादग्रस्त आराजी स्व वनाराम जी से प्राप्त होना बताया है। वनाराम जी के वारिस अप्रार्थीगण के अलावा पुत्रिया नेनू, पोनी, दाकू हुए जिस अनुरूप वादग्रस्त आराजी में प्राथीयों का 1/6 हिस्सा होना प्रतीत होता है। जिसके खण्डन में अप्रार्थीगण द्वारा नही किया है। जिससे उपरोक्त विवेचन अनुसार अप्रार्थीगण का पैतृक हक अधिकार स्व वनाराम जी के वारिस के रूप में वादग्रस्त आराजी में सिर्फ 1/6-1/6 बनना प्रथम दृष्टया आंशिक रूप से साबित होता है जबकि वर्तमान राजस्व रिकोर्ड में जमाबन्दी के अनुसार 1/3-1/3 दर्ज है। हालांकि खातेदारी हक अधिकारो के संबध मे साक्ष्य आदि से मूल वाद के गुणावगुण पर निर्णय होगा। जिससे अप्रार्थी को वादग्रस्त आराजियात मे जब तक हिस्से तय नही हो जावे , जब तक कानूनन किसी भी सह खातेदार को अपनी मन मर्जी से एवं जमाबंदी मे मात्र गलत हिस्सा दर्ज हो जाने से वादग्रस्त आराजियात मे से किसी हिस्से या को अन्यंत्र हस्तान्तरित करने का कानूनन हक अधिकार नही होता है। उपरोक्त विवेचन मे दौराने वाद वादग्रस्त आराजियात को खुर्द बुर्द आगे हस्तान्तरण किये जाने की सूरत मे प्रार्थीयों को अपूर्णनीय क्षति होने की संभावना प्रतीत होता है। अतः अपूर्णनीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थियों के पक्ष में साबित होता है।

अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने बाबत तीनो बिन्दुओ प्रार्थियों के पक्ष में साबित होने से न्यायालय की राय में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है। अतएवं

आदेश

अतः परिणामस्वरूप प्रार्थियों का यह अस्थायी निषेधाज्ञा का आवेदन अन्तर्गत धारा-212 राजस्थान काश्तकारी अधिनिमय के तहत से स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि- अप्रार्थी वादग्रस्त आराजियात मौजा सरहद गांव-नारलाई, पटवार क्षेत्र- नारलाई, तहसील-देसूरी, जिला-पाली (राज.) में संयुक्त खातेदारी आधिपत्य की कृषि भूमि आराजियात खसरा नम्बर 2325, 2326, 2328, 2329, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2366 कुल खसरा- 22 कुल क्षेत्रफल - 59.3800 हैक्टर, कुल लगान रूपयां- 1133.38 एवं खसरा नम्बर- 1449, 1450, 1451, 1453, 1454, 1455, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, कुल खसरा-14 कुल क्षेत्रफल-11.8100 हैक्टर, कुल लगान रूपयां - 284.72 में वर्तमान राजस्व अभिलेख में Signature Not Verified नाम दर्ज है, को......

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot लगातार.....
Date: 2022.04.19 14:56:06 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

अप्रार्थीगण संख्या 1 से 7 किसी प्रकार से खुर्दबुर्द अन्यत्र हस्तान्तरण नही करे एवम् प्रार्थीनी के पैतृक हक हिस्सा की आराजी में प्रार्थिया के कब्जा काश्त में कोई दखलन्दाजी नही करे, न किसी अन्य से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे। पत्रावली फैसल भुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल राजस्व वाद के साथ नत्थी हो।

(राजलक्ष्मी गहलोत)
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी

निर्णय/आदेश आज दिनांक– 31/03/2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
देसूरी

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.19 14:56:06 IST
Reason: SelfAttested